

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् के गठन सम्बन्धी पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिकरण करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् का उन क्षेत्रों के लिये सहर्ष निम्न प्रकार से तत्काल पुनर्गठन करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। इस परिषद् का कार्यकाल दो वर्ष का होगा:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | श्री जय राम ठाकुर,
मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राम लाल मारकण्डा,
कृषि, जन जातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
हिमाचल प्रदेश। | सदस्य |
| 3. | श्री जिया लाल, विधायक भरमौर
नया मैट्रोपोल, सैट न0 602 शिमला-।
हिमाचल प्रदेश। | सदस्य |
| 4. | श्री जगत सिंह नेगी, विधायक, किन्नौर
जवाहर सदन, सैट न0 203-04 ब्लाक बी, शिमला-4
हिमाचल प्रदेश। | सदस्य |
| 5. | श्री तेजवंत सिंह, पूर्व विधायक, गांव व डाकघर किल्बा,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर। | सदस्य |
| 6. | श्री सूरत नेगी (प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा)
गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर। | सदस्य |
| 7. | श्री विनय नेगी, (अध्यक्ष जिला भाजपा किन्नौर)
गांव व डाकघर युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर। | सदस्य |
| 8. | श्रीमति सुनीता नेगी (प्रदेश सचिव महिला मोर्चा)
गांव व डाकघर दुनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर। | सदस्य |
| 9. | श्री संजीव नेगी, (मण्डल अध्यक्ष भाजपा पूह)
गांव व डाकघर लियो, उप-तहसील हंगरंग
जिला किन्नौर। | सदस्य |

10. श्री संतोष राज नेगी, (प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा)
गांव व डाकघर स्पीलो तहसील पूह, जिला किन्नौर । सदस्य
11. श्री शमशेर सिंह गांव व डाकघर, उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश। सदस्य
12. श्री नवांग उपासक, गांव व डाकघर, मोक्ष केसरी,
तहसील केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति । सदस्य
13. श्री राजेन्द्र बौद्ध, गांव व डाकघर ताबो, तहसील काजा,
जिला लाहौल एवं स्पिति । सदस्य
14. श्री पलजोर बौद्ध, गांव व डाकघर रंगरीक,
तहसील काजा जिला लाहौल स्पिति। सदस्य
15. श्री कल्याण सिंह, गांव सुराल, तहसील पांगी
जिला चम्बा । सदस्य
16. श्री तुरूप चन्द, गांव हिलोटवान, डाकघर सेचू,
तहसील पांगी जिला चम्बा। सदस्य
17. श्री राकेश जरयाल, गांव व डाकघर चनौता,
तहसील होली जिला चम्बा। सदस्य
18. श्री सत्या प्रसाद शर्मा, गांव लाहल,
डाकघर खनी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा । सदस्य

2. जन जातीय सलाहकार परिषद् में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार पदेन सचिव व आयुक्त एवं प्रधान सचिव जन जातीय संयुक्त पदेन सदस्य होंगे।

3. कम संख्या 5 से 18 तक अंकित सदस्य उनके मनोयन की तिथि से नियम 5 (2 तथा 3) के अन्तर्गत इस परिषद् के, दो वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेंगे परन्तु इन्हें इस अवधि से पूर्व भी राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, की खुशनूदी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व भी सदस्यता से हटाया जा सकता है।

4. इस परिषद् के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार वर्णित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

5. संयुक्त-निदेशक (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश, गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता की अदयगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: टी0बी0डी0 (ए) 4-1/2018

दिनांक शिमला-2, 04-04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 ।
3. निजि सचिव, अध्यक्ष हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-171002 ।
4. निजि सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, स्थिति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश ।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि0प्र0 ।
11. परियोजना अधिकारी आई0टी0डी0पी0 किन्नौर, केलोंग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
12. समस्त सदस्यगण क्रम संख्या 5 से 18 तक ।
13. संयुक्त सचिव (टी डी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-11001 ।
14. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9-ए, चण्डीगढ़-160017 ।
15. अतिरिक्त आयुक्त (जन-जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।
16. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2, को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 को उक्त अधिसूचना को हि0 प्र0 राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु । उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें ।
18. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को इस आशय से अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की बैवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें ।

उप सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग

संख्या: टी0बी0डी0(ए) 4-1/2018

दिनांक,शिमला-171002

04-04-2018

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित विशेष आमन्त्रित (Special Invitee) सदस्यों को मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. कुमारी चन्द्रा नेगी (भाजपा जिला सचिव एवं बी.डी. सी. सदस्य)
गांव व डाकघर पूर्वनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर हि0 प्र0।
2. श्री शान्ता कुमार, गांव व डाकघर नाको, तहसील पूह जिला किन्नौर हि0प्र0।
3. श्रीमति पुष्पा देवी, गांव किरटिंग डाकघर लोट, तहसील केलंग,
जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0।
4. लोबजंग बौद्ध, गांव व डाकघर सगनम, तहसील काजा,
जिला लाहौल स्पिति हि0 प्र0।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृष्ठांकन संख्या: टी0बी0डी0 (ए) 4-1/2018, दिनांक शिमला-2,

04-04-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-171002।
3. निजि सचिव, अध्यक्ष हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-171002।
4. निजि सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि0प्र0।
11. परियोजना अधिकारी, आई0टी0डी0पी0 किन्नौर, केलंग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।

12. समस्त सदस्यगण कम संख्या 5 से 18 तक ।
13. संयुक्त सचिव (टी डी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
14. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9-ए, चण्डीगढ़-160017
15. अतिरिक्त आयुक्त (जन-जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।
16. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2, को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 को उक्त अधिसूचना को हि0 प्र0 राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु । उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें ।
18. तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को इस आशय से अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की बैवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें ।


उप सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।